

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2013—माघ 3, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ-16-7-2012-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची 'एक', 'दो', 'तीन' तथा 'चार' के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (पे बैंड+ग्रेड पे)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आवासीय आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	(37400—67000)+10000	भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग का पद.
2	विशेष आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	(37400—67000)+10000	भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग का पद.
3	अपर आवासीय आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	(37400—67000)+8700	—
4	संयुक्त आवासीय आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	(15600—39100)+7600	—
5	उप आवासीय आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	(15600—39100)+6600	—
6	कार्यपालन यंत्री	1	प्रथम श्रेणी	(15600—39100)+6600	लोक निर्माण विभाग के स्थानान्तरण द्वारा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	सहायक यंत्री	1	द्वितीय श्रेणी	(15600—39100)+5400	लोक निर्माण विभाग के स्थानान्तरण द्वारा.
8	सहायक शल्य चिकित्सक	1	द्वितीय श्रेणी	(15600—39100)+5400	लोक स्वास्थ्य विभाग से स्थानान्तरण.
9	मुख्यमंत्री के संपर्क अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	(15600—39100)+5400	मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना से.
10	प्रोटोकाल अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	(15600—39100)+5400	—
11	उप संचालक	1	द्वितीय श्रेणी	(15600—39100)+5400	—
12	हाउस मैनेजर	2	द्वितीय श्रेणी	(15600—39100)+5400	—
13	अनुभाग अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	(9300—34800)+4200	—
14	सहायक हाउस मैनेजर	1	द्वितीय श्रेणी	(9300—34800)+4200	—

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1) (क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1) (ख) देखिए	अन्य सेवा से अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा नियम 6(1) (ग) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आवासीय आयुक्त	1	—	—	100 प्रतिशत
2	विशेष आयुक्त	1	—	—	100 प्रतिशत
3	अपर आवासीय आयुक्त	1	—	100 प्रतिशत	—
4	संयुक्त आवासीय आयुक्त	1	—	100 प्रतिशत	—
5	उप आवासीय आयुक्त	1	—	100 प्रतिशत	—
6	कार्यपालन यंत्री	1	—	—	100 प्रतिशत
7	सहायक यंत्री	1	—	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
8	सहायक शल्य चिकित्सक	1	—	—	100 प्रतिशत
9	मुख्यमंत्री के संपर्क अधिकारी	1	—	—	100 प्रतिशत
10	प्रोटोकाल अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—
11	उप संचालक	1	—	—	पद वित्त सेवा के अधिकारी (वित्त सेवा का संवर्गीय पद) से भरा जायेगा.
12	हाउस मैनेजर	2	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
13	अनुभाग अधिकारी	1	—	100 प्रतिशत	—
14	सहायक हाउस मैनेजर	1	100 प्रतिशत	—	—

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिए)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित अर्हता	अन्य मद	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हाउस मैनेजर	18 वर्ष	40 वर्ष	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मेनेजमेंट की उपाधि.	-	-
2	सहायक हाउस मैनेजर	18 वर्ष	40 वर्ष	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से हाउस कीपिंग/होटल मेनेजमेंट में डिप्लोमा. राज्य/केन्द्र शासन से डिग्री धारक को प्राथमिकता. शासकीय अतिथि गृह अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित होटल में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय.	-	-

अनुसूची-चार
(नियम-13 देखिए)

अनु-क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	पदोन्नति की प्रक्रिया	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संयुक्त आवासीय आयुक्त	अपर आवासीय आयुक्त	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्देशित लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग—सदस्य. 3. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली—सदस्य. 4. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग—सदस्य.	-	-
2	उप आवासीय आयुक्त	संयुक्त आवासीय आयुक्त	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
3	प्रोटोकाल अधिकारी	उप आवासीय आयुक्त	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
4	अनुभाग अधिकारी	उप संचालक	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
5	सहायक प्रोटोकाल अधिकारी.	प्रोटोकाल अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
6	सहायक ग्रेड-1/संपर्क सहायक.	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
7	सहायक हाउस मैनेजर	हाउस मैनेजर	5 वर्ष	-तदैव-	-	-
8	हाउस कीपर	सहायक हाउस मैनेजर	5 वर्ष	-तदैव-	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ-16-7-2012-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-7-2012-1-4, दिनांक 23 जनवरी, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd January 2013

No. F. 16-7-2012-I-4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Office of the Resident Commissioner, Government of Madhya Pradesh at New Delhi (Class-Gazetted) Service Recruitment Rule, 2000, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I (See rule 5)

S. No. (1)	Name of Posts included in the Service (2)	No. of Posts (3)	Classification (4)	Pay Scale (Pay Band+Grade Pay) (5)	Remarks (6)
1	Resident Commissioner	1	Class One	37400—67000+10000	Cadre Post of Indian Administrative Service.
2	Special Commissioner	1	Class One	37400—67000+10000	Cadre Post of Indian Administrative Service.
3	Additional Resident Commissioner.	1	Class One	37400—67000+8700	-
4	Joint Resident Commissioner	1	Class One	15600—39100+7600	-
5	Dy. Resident Commissioner	1	Class One	15600—39100+6600	-
6	Executive Engineer	1	Class One	15600—39100+6600	By Transfer from Public Work Department.
7	Assistant Engineer	1	Class Two	15600—39100+5400	By Transfer from Public Work Department.
8	Assistant Surgeon	1	Class Two	15600—39100+5400	By Transfer from Public Health Department.
9	Liaison Officer to Chief Minister.	1	Class Two	15600—39100+5400	From Establishment of the Chief Minister.
10	Protocal Officer	1	Class Two	15600—39100+5400	-
11	Deputy Director	1	Class Two	15600—39100+5400	-
12	House Manager	2	Class Two	15600—39100+5400	-
13	Section Officer	1	Class Two	9300—34800+4200	-
14	Assistant House Manager	1	Class Two	9300—34800+4200	-

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S. No.	Name of Posts	No. of Posts	Percentage of Number of Posts to be filled		
			By Direct recruitment vide rule 6 (1) (a)	By Promotion of members of service vide rule 6 (1) (b)	By temporary transfer from other service vide rule 6 (1) (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Resident Commissioner	1	-	-	100%
2	Special Commissioner	1	-	-	100%
3	Additional Resident Commissioner.	1	-	100%	-
4	Joint Resident Commissioner	1	-	100%	-
5	Deputy. Resident Commissioner	1	-	100%	-
6	Executive Engineer	1	-	-	100%
7	Assistant Engineer	1	-	-	100%
8	Assistant Surgeon	1	-	-	100%
9	Liaison Officer to Chief Minister	1	-	-	100%
10	Protocal Officer	1	-	100%	-
11	Deputy Director	1	-	100%	This post will be filled up by the officer's of M. P. Finance Services (Cadre Post of M. P. Finance Services).
12	House Manager	2	50%	50%	-
13	Section Officer	1	-	100%	-
14	Assistant House Manager	1	100%	-	-

SCHEDULE-III
(See rule 8)

S. No.	Name of Posts	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed qualification	Other items	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	House Manager	18 years	40 years	Graduate from any recognized University and Hotel Management degree from recognized Institution.	-	-
2	Asstt. House Manager.	18 years	40 years	1. Graduate from any recognized University. 2. Diploma in House Keeping/ Hotel Management from State and Central Govt. recognized Institute/ priority will be given to Degree holder. 3. Minimum five year working experience in State/Central Govt. Guest House/Hotels.	-	-

SCHEDULE-IV

(See rule 13)

S. No.	Name of the Posts from which promotion would be given	Name of Post on which promotion should be given	Minimum service period for promotion	Name of the Departmental Promotion Committee	Procedure of Promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Joint Resident Commissioner	Additional Resident Commissioner	5 years	1. Chairman, Public Service Commission or on his behalf nominated member of PSC—Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secy. GAD—Member. 3. Resident Commissioner, Govt. of Madhya Pradesh, New Delhi—Member. 4. Additional Secretary/ Deputy Secy., Govt. of M. P. GAD—Member.	-	-
2	Deputy Resident Commissioner.	Joint Resident Commissioner.	5 years	-do-		
3	Protocol Officer	Deputy Resident Commissioner.	5 years	-do-		
4	Section Officer	Deputy Director	5 years	-do-		
5	Assistant Protocol Officer.	Protocol Officer	5 years	-do-		
6	Asstt. House Manager.	House Manager	5 years	-do-		
7	House Keeper	Asstt. House Manager.	5 years	-do-		
8	Assistant-1/Liaison Assistant.	Section Officer	5 years	-do-		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ-16-7-2012-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली (तृतीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची 'एक', 'दो', 'तीन' तथा 'चार' के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिये)

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (पे बैंड+ग्रेड पे) (5)	अभ्युक्तियां (6)
1	निज सचिव	2	तृतीय श्रेणी	(9300—34800)+4200	
2	उपयंत्री	2	तृतीय श्रेणी	(9300—34800)+3600	
3	सहायक शिष्टाचार अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी	(9300—34800)+3600	
4	निज सहायक	1	तृतीय श्रेणी	(9300—34800)+3600	
5	सहायक ग्रेड-1	1	तृतीय श्रेणी	(9300—34800)+3600	
6	हाउस कीपर	1	तृतीय श्रेणी	(9300—34800)+3200	
7	वर्ड प्रोसेसर	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2800	
8	शीघ्रलेखक	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2800	
9	सूचना सहायक	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2400	
10	सहायक हाउस कीपर	2	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2400	
11	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	3	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2400	
12	शिष्टाचार सहायक (सहायक ग्रेड-2)	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2400	
13	स्टेनो टाईपिस्ट	4	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
14	सहायक ग्रेड-3	2	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
15	स्वागती/टेलीफोन आपरेटर/ सत्कार सहायक.	13	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
16	वाहन चालक/हेल्पर-कम- वाहन चालक.	15	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
17	मोटर मैकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
18	कुक्	5	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
19	प्लम्बर	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
20	इलेक्ट्रिशियन	2	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+1900	
21	कैशियर	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2400	
22	स्टोर कीपर	1	तृतीय श्रेणी	(5200—20200)+2400	

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिये)

अनु- क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य सेवा से अस्थायी स्थानांतरण द्वारा नियम 6(1) (ग) देखिए	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1) (क) देखिए	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(ख) देखिए		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	निज सचिव	2	-	100%	-	उपयुक्त कर्मचारियों के उपलब्ध न होने पर राज्य शासन से अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा भरा जायेगा.
2	उपयंत्री	2	50%	-	50%	—तदैव—
3	सहायक शिष्टाचार अधिकारी	1	-	100%	-	—तदैव—
4	निज सहायक	1	-	100%	-	—तदैव—
5	सहायक ग्रेड-1	1	-	100%	-	—तदैव—
6	हाउस कीपर	1	-	100%	-	—तदैव—
7	शीघ्रलेखक	1	-	100%	-	—तदैव—
8	वर्ड प्रोसेसर	1	100%	-	-	—तदैव—
9	सूचना सहायक (सहायक ग्रेड-2)	1	-	100%	-	—तदैव—
10	सहायक हाउस कीपर	2	50%	50%	-	—तदैव—
11	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	3	-	100%	-	—तदैव—
12	शिष्टाचार सहायक	1	-	100%	-	—तदैव—
13	स्टेनो टाईपिस्ट	4	50%	50%	-	—तदैव—
14	सहायक ग्रेड-3	2	50%	50%	-	—तदैव—
15	स्वागती/टेलीफोन आपरेटर/ सत्कार सहायक.	13	50%	50%	-	—तदैव—
16	वाहन चालक/हेल्पर-कम- वाहन चालक.	15	50%	25%	25%	—तदैव—
17	मोटर मैकेनिक	1	100%	-	-	—तदैव—
18	कुक	5	60%	40%	-	—तदैव—
19	प्लम्बर	1	100%	-	-	—तदैव—
20	इलेक्ट्रिशियन	2	100%	-	-	—तदैव—
21	कैशियर	1	-	100%	-	—तदैव—
22	स्टोर कीपर	1	-	100%	-	—तदैव—
योग . .		62				

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित अर्हता	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	उपयंत्री	18 वर्ष	40 वर्ष	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने व्यवसाय (ट्रेड) में डिप्लोमा उत्तीर्ण होने सहित हायर सेकेण्डरी (10+2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण.	
	हाउस कीपर	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा शासन द्वारा मान्यता संस्था से हाउस कीपिंग/होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण.	
	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो:— (1) हायर सेकेण्डरी (10+2) 12वीं परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण. (3) हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट से उत्तीर्ण. (4) कम्प्यूटर योग्यता उत्तीर्ण हो.	
	वर्ड प्रोसेसर	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र.	
	सहायक हाउस कीपर	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी परीक्षा/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 के अन्तर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से हाउस कीपिंग में प्रशिक्षित.	
	सहायक ग्रेड-3/स्टेनो टाईपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो:— (1) हायर सेकेण्डरी (10+2) 12वीं परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो. (3) मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<ul style="list-style-type: none"> * Diploma from any University recognized by UGC. * Diploma from any open University recognized by UGC. * Diploma level examination from DOEACC. * Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College. 	
				(4) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से परीक्षा उत्तीर्ण हो.	
	स्वागती/टेलीफोन आपरेटर/सत्कार सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा 12वीं या उसके समकक्ष कोई अन्य उत्तीर्ण तथा महानगर टेलीफोन निगम से ईपीएबीएक्स के संचालन का प्रशिक्षण पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र अथवा होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान से स्वागती का प्रमाण-पत्र.	
	वाहन चालक/हेल्पर- कम-वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा विधिमान्य वाहन चालक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करता हो.	
	मोटर मैकेनिक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में 3 वर्ष का अनुभव.	
	कुक	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा होटल मैनेजमेंट संस्थान से फूड तथा बैवरेज में प्रशिक्षित.	
	प्लम्बर	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में उत्तीर्ण हो.	
	इलेक्ट्रिशियन	18 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में उत्तीर्ण हो.	

अनुसूची-चार
(नियम-15 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली	सहायक हाउस कीपर	हाउस कीपर	होटल प्रबंधन में डिप्लोमाधारी को 05 वर्ष.	1. अपर आवासीय आयुक्त—अध्यक्ष. 2. हाउस मैनेजर—सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी—सदस्य सचिव.
	शिष्टाचार सहायक ग्रेड-2	सहायक शिष्टाचार अधिकारी.	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	सहायक ग्रेड-2/सूचना सहायक/लेखापाल/कैशियर/स्टोर कीपर	सहायक ग्रेड-1	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	वर्ड प्रोसेसर	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	निज सहायक	निज सचिव	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	शीघ्रलेखक	निज सहायक	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	स्टेनो टाइपिस्ट	शीघ्रलेखक	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2/लेखापाल	05 वर्ष, लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण.	उपरोक्तानुसार
	स्वागती/टेलीफोन ऑपरेटर/सत्कार सहायक/सहायक ग्रेड-3	कैशियर/स्टोर कीपर/सहायक हाउस कीपर/शिष्टाचार सहायक/सूचना सहायक	05 वर्ष,	उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. एफ-16-7-2012-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ 16-7-2012-1-4, दिनांक 23 जनवरी, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd January 2013

No. 16-7-2012-I-4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Office of the Resident Commissioner, Government of Madhya Pradesh at New Delhi (Class-III) Service Recruitment Rule, 2003, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of Posts included in the Service (2)	No. of Posts (3)	Classification (4)	Pay Scale (Pay Band+Grade Pay) (5)	Remarks (6)
1	Private Secretary	2	Class-III	(9300—34800)+4200	
2	Sub-Engineer	2	Class-III	(9300—34800)+3600	
3	Assistant Protocol Officer	1	Class-III	(9300—34800)+3600	
4	Private Assistant	1	Class-III	(9300—34800)+3600	
5	Assistant Grade-1	1	Class-III	(9300—34800)+3600	
6	House Keeper	1	Class-III	(9300—34800)+3200	
7	Word Processor cum Asstt. Programmer.	1	Class-III	(5200—20200)+2800	
8	Stenographer	1	Class-III	(5200—20200)+2800	
9	Information Assistant	1	Class-III	(5200—20200)+2400	
10	Assistant House Keeper	2	Class-III	(5200—20200)+2400	
11	Assistant Grade-II/ Accountant.	3	Class-III	(5200—20200)+2400	
12	Protocol Assistant	1	Class-III	(5200—20200)+2400	
13	Steno-typist	4	Class-III	(5200—20200)+1900	
14	Assistant Grade-III	2	Class-III	(5200—20200)+1900	
15	Receptionist/Telephone Operator/Hospitality Assistant.	13	Class-III	(5200—20200)+1900	
16	Driver/Helper-cum-Driver	15	Class-III	(5200—20200)+1900	
17	Motor Mechanic	1	Class-III	(5200—20200)+1900	
18	Cook	5	Class-III	(5200—20200)+1900	
19	Plumber	1	Class-III	(5200—20200)+1900	
20	Electrician	2	Class-III	(5200—20200)+1900	
21	Cashier	1	Class-III	(5200—20200)+2400	
22	Store Keeper	1	Class-III	(5200—20200)+2400	
Total . .		62			

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S. No.	Name of Posts	No. of Posts	% of Number of Posts to be filled			Remarks
			By Direct recruitment vide rule 6(1)(a)	By Promotion of members of service vide rule 6(1)(b)	By temporary transfer from other service vide rule 6(1)(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Private Secretary	2	-	100%	-	On the Non-availability of suitable Employees post to be filled by temporary transfer from the State Government.
2	Sub-Engineer	2	50%	-	50%	-do-
3	Assistant Protocol Officer	1	-	100%	-	-do-
4	Private Assistant	1	-	100%	-	-do-
5	Assistant Grade-1	1	-	100%	-	-do-
6	House Keeper	1	-	100%	-	-do-
7	Stenographer	1	-	100%	-	-do-
8	Word Processor	1	100%	-	-	-do-
9	Information Assistant	1	-	100%	-	-do-
10	Assistant House Keeper	2	50%	50%	-	-do-
11	Assistant Grade-II/ Accountant.	3	-	100%	-	-do-
12	Protocol Assistant	1	-	100%	-	-do-
13	Steno-typist	4	50%	50%	-	-do-
14	Assistant Grade-III	2	50%	50%	-	-do-
15	Receptionist/Telephone Operator/Hospitality Assistant.	13	50%	50%	-	-do-
16	Driver/Helper-cum-Driver	15	50%	25%	25%	-do-
17	Motor Mechanic	1	100%	-	-	-do-
18	Cook	5	60%	40%	-	-do-
19	Plumber	1	100%	-	-	-do-
20	Electrician	2	100%	-	-	-do-
21	Cashier	1	-	100%	-	-do-
22	Store Keeper	1	-	100%	-	-do-
Total . .		62				

SCHEDULE-III

(See rule 8)

Name of Department	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub-Engineer	18 years	40 years	As Pass Secondary Examination on (10+2) with pass in Diploma in his trade from any Institution recognized by the Government.	
	House Keeper	18 years	40 years	A Graduate Degree from a recognized University and having passed a Diploma in House Keeping/Hotel Management from any Institution recognized by the Government.	
	Stenographer	18 years	40 years	Must have passed the following examination:— 1. A pass in Higher Secondary Examination (10+2) or any other equivalent examination. 2. A Hindi Typing Examination and Hindi Stenography examination pass from Madhya Pradesh Stenography and Typing Board or from any other Institute recognized by the Government of Madhya Pradesh. 3. It shall be necessary to have a minimum speed of 100 words per minute in Hindi Stenography 4. Computer knowledge.	
	Word Process	18 years	40 years	A Graduate Degree from any recognized University and One years Computer Training Certificate from any Institute recognized by the Government.	
	Assistant House Keeper	18 years	40 years	A pass in Higher Secondary (10+2) Examination and Trained in House Keeping by any Institute recognized by the Government.	
	Assistant Grade-III/ Steno-typist	18 years	40 years	Must have passed the following examination:— 1. A pass in Higher Secondary Examination (10+2) or any other equivalent examination. 2. A pass in Hindi Typing examination from Madhya Pradesh Stenography and Typing Board or a pass in Hindi Typing Examination from any other Institute recognized by the Government.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Computer examination passed from Govt. recognized Institute.	
				* Diploma from any University recognized by UGC.	
				* Diploma from any open University recognized by UGC.	
				* Diploma level examination from DOEACC.	
				* Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.	
				4. It shall be necessary to have a minimum speed of 80 words per minute in Hindi Stenography for appointment on the post of Stenotypist.	
Hospitality/Telephone Operator/Protocol Assistant.	18 years	40 years		A pass in Higher Secondary Examination (10+2) 12th or any other equivalent examination and certificate of having completed the training in the operation of EPABX from Mahanagar Telephone Nigam or a certificate of receptionist from a Hotel Management Training Institute.	
Driver/Helper-cum-Driver.	18 years	40 years		A Class VIII pass holding valid Driving Licence.	
Motor Mechanic	18 years	40 years		A Class VIII pass from any recognized school and pass from an Industrial Training Institute and 3 years experience in the concerned trade.	
Cook	18 years	40 years		A Class VIII pass from any recognized school and a trained in food and Beverage from any Hotel Management Institute.	
Plumber	18 years	40 years		A Class VIII pass from any recognized school and a pass in the concerned trade and trained from any recognized Industrial Training Institute.	
Electrician	18 years	40 years		A Class VIII pass from any recognized school and a pass in the concerned trade and trained from any recognized Industrial Training Institute.	

SCHEDULE-IV

(See rule 15)

Name of Department	Name of Posts	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum Service Period for Promotion	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Resident Commissioner, Govt. of Madhya Pradesh, Madhya Bhawan, New Delhi.	Assistant House Keeper	House Keeper	05 year, Diploma Holder in Hotel Management	1. Addl. Resident Commissioner. 2. House Manager 3. Section Officer (Member Secretary)
	Protocol Assistant Grade-II	Assistant Protocol Officer	05 years	-As above-
	Assistant Grade-II/ Accountant/Information Assistant/Cashier/ Store Keeper.	Assistant Grade-I	05 years	-As above-
	Word Processor	Computer Programmer.	05 years	-As above-
	Private Assistant	Private Secretary	05 years	-As above-
	Stenographer	Private Assistant	05 years	-As above-
	Steno-typist	Stenographer	05 years	-As above-
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Accountant	05 years Accounts Training Passed.	-As above-
	Receptionist/Telephone Operator/ Hospitality Assistant/ Assistant-III.	Assistant House Keeper/Protocol Assistant/Cashier/ Store Keeper.	05 years	-As above-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.